सुप्रीम कोर्ट की सराहनीय पहल

अपने संवैधानिक दायित्वों की अनदेखी करती आ रही है सरकार

मुद्दा

प्रभात कुमार रॉय

अकूत काली दौलत के विकट सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने उल्लेखनीय एवं शानदार न्यायिक सक्रियता का उद्धरण पेश करके वस्तुतः इतिहास रच दिया, जबकि राष्ट्र की काली दौलत की खोजबीन करने के लिए उसके द्वारा स्पेशल इनवैस्टिगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने का निर्देश केंद्रीय हुकूमत को दिया गया। भारतीय संविधान के निमार्ताओं द्वारा संविधान के संरक्षक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को निरुपित किया गया। कार्यपालिका (एक्जिक्यूटिव) के प्रत्येक असंवैधानिक कार्य को बाकायदा रोकने का जिम्मा भी संविधान द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया है। भारत सरकार सदैव ही काली दौलत के जखीरेबाजों के विरुद्ध कोई भी कड़ा कदम उठाने से गुरेज करती रही।

जर्मन चांसलर ने अपने मुल्क के स्विस बैंक में जमा काली दौलत को वापस लाने के लिए सख्त कदम लिए और इस मामले में वह भारत की इमदाद के लिए भी आगे आई और जर्मन चांसलर की बदौलत भारत को भी उन 18 भारतीयों की एक लिस्ट हासिल हो गई, जिनकी काली दौलत स्विस बैंक में जमा है। भारत सरकार ने इस दौलत को मुल्क में वापस लाने के लिए कोई समुचित प्रयास कदाचित अंजाम नहीं दिए, ना ही उन लोगों को नामों का बाकायदा खुलासा किया गया, जिनकी काली दौलत स्विस बैंक में जमा रही। काली दौलत के अन्य जखीरेबाजों का पता लगाने के लिए भी भारत सरकार ने कोई संजीदा प्रयास नहीं किया।

अकूत काली दौलत के संपूर्ण मामले में मनमोहन सिंह सरकार ने संवैधानिक लक्ष्यों के अनुरुप आचरण अंजाम नहीं दिया। भारतीय संविधान ने न्यायपूर्ण व्यवस्था और समतामयी समाज को कायम करने के महान लक्ष्य तय किए थे। भारतीय गणतंत्र की वास्तविक कामयाबी पर अनेक सवाल खड़े किए जाते रहे। 64 वर्षों की तमाम तरक्की के बावजूद देश के जनमानस का तकरीबन 40 फीसदी हिस्सा गुरबत, जलालत और जहालत की जिंदगी व्यतीत करने के लिए विवश रहा है। बेहिसाब बेईमानी, भयानक भ्रष्टाचार और निर्मम शोषण के दमखम पर मुट्ठी भर राजनेता, नौकरशाह और कॉरपोरेट घराने देश की आधी से अधिक दौलत के कथित मालिक बन बैठे। यूं तो विगत 60 वर्ष का इतिहास शासकीय घोटालों से लबरेज रहा, किंतु विगत दो वर्षों के दौरान तो एक बढ़कर एक शासकीय स्कैंडल प्रकाश में आए।

आदर्श सोसाइटी घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और 2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल ने राष्ट्र की हुकूमत को बेहद बदनाम और शर्मिंदा किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नाक के ठीक नीचे 2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल जारी रहा और एक लाख पचहत्तर करोड़ के घोटाले को सीएजी द्वारा इसको उजागर किए जाने के पश्चात भी मनमोहन सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी सरकार के मुलजिम मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट्स की अत्यंत बेशर्मी के साथ पैरवी करती नजर आई और उनके तरफदारी करते हुए झूठे शपथपत्र दाखिल कराती रही। 2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल केस में जितनी बेईमानी और बेशर्मी का परिचय इस कुख्यात स्कैंडल को दबाने के लिए मनमोहन सरकार ने दिया, उसके एकदम ही उलट संविधान की मौलिक स्प्रिट के तेवर को बाकायदा कायम रखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर भ्रष्टाचारी मिनिस्टर्स, राजनेताओं और नौकरशाहों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अंजाम दी और इस केस की सीबीआई द्वारा सीधे अपने निर्देशन में जाँच पड़ताल कराई। केंद्रीय हुकूमत के जबड़ो से मुक्त होकर 2जी स्पैक्ट्रम स्कैंडल केस में जबरदस्त कमाल कर दिखाया। मनमोहन सिंह सरकार के पूर्व केबिनेट मिनिस्टर ए राजा, दयानिधि मारन और डीएमके नेता मैडम कनिमोझी के साथ अनेक मुलजिम वरिष्ठ नौकरशाहों को जेल के सीखचों के पीछे ढकेल दिया और उनकी जमानत न होने दी। इस मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। मंत्रियों के फंसने का क्रम जारी है। कपिल सिब्बल के इस्तीफे की मांग भी उठने लगी है। अब इस केस में पूर्व केबिनेट मिनिस्टर दयानिधि मारन को जेल जाने की आशंका जताई जा रही है। सीबीआई यह कारनामा केवल सुप्रीम कोर्ट की पहल के कारण ही अंजाम दे पाई, जिसने साबित कर दिखाया कि भारतीय गणतंत्र में संविधान के रखवाले की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानून का चाबुक अत्यंत शक्तिशाली, असरदार और अमीर गुनाहगार मुलजिमों पर भी चल सकता है।

गणतंत्र का वास्तविक अर्थ तो सदैव ही कानून के शासन (रुल ऑफ लॉ) में निहित रहा है। इसके तहत सभी को समुचित और त्वरित गति से न्याय हासिल होना चाहिए। अभी तक भारत में अमीरों और असरदार लोगों के लिए कानून का कुछ पृथक रूपरंग सामने आता रहा। जबकि गरीबों और कमजोरों के लिए कानून का घातक स्वरूप सामने आता रहा। दुर्भाग्यवश भारत में गणतांत्रिक कार्यप्रणाली के तमाम प्रमुख स्तंभ नाकारा, भ्रष्ट और निहित स्वार्थों की गिरफ्त में बने रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहल से ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब शायद अमीरों और असरदार गुनाहगारों लोगों को पर भी कानून का शासन (रुल ऑफ लॉ) लागू होकर ही रहेगा। भारत को जंगे आजादी के आत्मबलिदानी योद्धाओं और संविधान रचियताओं के उसूलों और विचारों के विरुद्ध किस तरह से राष्ट्र को विपरीत भ्रष्ट दिशा में धकेला जाता रहा। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण, आजादी के दौर में निरंतर गति से बढती हुई काली दौलत के लगे अंबार के तौर पर सामने आता है। किसान मजदूरों के हक की अकूत दौलत को भ्रष्ट बेईमानों द्वारा लूट कर निजी जखीरों के रुप में विदेशी बैंकों में जमा कराया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा काली दौलत के अहम सवाल पर एसआईटी के गठन का निर्देश दिया जाना, सकारात्मक दिशा में लिया गया ऐसा ठोस कदम है, जो कि भारत के वंचितों और मजलूमों को मुस्तकबिल में उनके वाजिब हक दिला सकता है। जंगे आजादी के बलिदानियों के आदर्शों के अनुरुप यदि भारत का निर्माण करना है तो संवैधानिक लक्ष्यों को यथाशीघ्र हासिल करना होगा। भारतीय राजसत्ता के प्रमुख स्तंभों में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और मीडिया को शुमार किया जाता है। भारतीय राजसत्ता के प्रत्येक प्रमुख स्तंभ को अपनी विशिष्ट भूमिका का शानदार निर्वाह करना होगा, तभी भारत अपने लिए गणतांत्रिक राष्ट्रों की कतार में यथोचित स्थान निर्मित कर सकेगा। गणतांत्रिक संवैधानिक मूल्यों को रौंदकर कोई राजसत्ता इतिहास में अपना शानदार स्थान निर्मित नहीं कर सकेगी।

पूर्व प्रशासनिक अधिकारी

Reproduced by www.nubbyshobby.com with author's permission